

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-927 / 2009संस्थित दिनांक-01.12.09

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मुन्नासिंह पुत्र तहसीलदारसिंह भदौरिया उम्र 32 साल

निवासी सोने का पुरा थाना सहसो जिला इटावा उ0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 09.10.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 327 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 18.11.09 को रात्रि 11 बजे के लगभग हरीराम की कुईया नोवा गोदाम के सामने लोकमार्ग पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी विशालसिंह शेखावत एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया तथा फरियादी से 200 रुपये उद्यापित करने के प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 18.11.09 को फरियादी विशालसिंह शेखावत नोवा फैक्ट्री में ड्यूटी करता था। रात्रि करीब 11 बजे ड्यूटी के लिए जा रहा था और गोदाम के पास पैदल पहुंचा तो अभियुक्त अपने एक साथी के साथ आया और उसे रोक कर मारपीट की। उक्त लोग बोले कि शराब के लिए 200 रुपये दो नहीं तो ड्यूटी नहीं करने देंगे, तब वह चिल्लाया तो नरेन्द्रसिंह भदौरिया और सोनू जादौन ने अभियुक्त मुन्ना को पकड़ लिया और बिहारी नाम का लडका अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0 167/09 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.11.09 को रात्रि 11 बजे के लगभग हरीराम की कुईया नोवा गोदाम के सामने लोकमार्ग पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी विशालसिंह शेखावत एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी से 200 रुपये उद्यापित करने के प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित की।

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सोनू अ0सा0 1, आर0सी0 पाठक अ0सा0 2 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण में साक्षी सोनू जादौन अ0सा0 1, जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है वह अपने अभिसाक्ष्य में कथन करता है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता और उसे किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया, सूचक प्रश्नों में उक्त साक्षी द्वारा दिनांक 18.11.09 को रात्रि करीब 11 बजे चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादी विशालसिंह को अभियुक्त मुन्नासिंह और बिहारी द्वारा मारपीट करने तथा 200 रुपये की मांग करने के संबंध में सुझाव से इंकार करता है। साक्षी इस सुझाव से भी इंकार करता है कि मौके पर उसने अभियुक्त को पकड़ लिया था। साक्षी पुलिस कथन प्र0पी0 1 के विनिर्दिष्ट भाग को पुलिस को दिए जाने से स्पष्टतः इंकार करता है। इस प्रकार से यह साक्षी अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं करता है।

7. प्रकरण में फरियादी विशालसिंह एवं कथित चक्षुदर्शी नरेन्द्रसिंह व रामनरेश को कई बार आहूत किए जाने पर भी उक्त साक्षीगण अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस प्रकार से उक्त साक्षियों एवं स्वयं फरियादी द्वारा अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है।

8. आर0सी0 पाठक अ0सा0 2 प्राथमिकी लेखक एवं विवेचक हैं जो अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि वे दिनांक 19.11.09 को थाना मालनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी विशाल द्वारा एफआईआर0 लेख कराई थी जो प्रपी0 2 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। नक्शामौका प्र0पी0 3 फरियादी के बताए अनुसार तैयार किए जाने और उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में नरेन्द्र,

रामनरेश व सोनू के कथन उनके बताए अनुसार लेख करना बताते हैं। गिर0 पत्रक प्र0पी0 4 बनाकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना भी बताते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि वे फरियादी को नहीं जानते थे। प्रकरण में फरियादी का कोई मेडीकल परीक्षण कराए जाने का तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है। प्राथमिकी प्र0पी0 2 अवश्य अभिलेख पर है किन्तु उक्त प्राथमिकी सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि उसका उपयोग साक्षी के कथन की संपुष्टि या विरोधाभास व लोप को दर्शित करने के लिए किया जाता है। आर0सी0 पाठक अ0सा0 2 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं ऐसी दशा में उनकी साक्ष्य संप्रोषक साक्ष्य की श्रेणी में आती है जो कि मुख्य साक्ष्य के अभाव में सारवान होना नहीं पाई जाती है।

9. प्रकरण में फरियादी परीक्षित नहीं हो सका। कथित प्रत्यक्षदर्शी सोनू अ0सा0 1 ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। कथित गिर0 पत्रक के अनुसार विवेचक आर0सी0 पाठक ने घटनास्थल पर अभियुक्त को गिर0 किया हो ऐसा भी अभिलेख पर नहीं है। साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह बताते हैं कि अभियुक्त के संबंध में गिरफ्तारी पत्रक थाने पर तैयार किया गया, जबकि उसे नोवा गोदाम में पकड़ा था। ऐसे में अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित आरोप को मात्र गिरफ्तारी के तथ्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

10. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी सारवान व विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अपराध का लेशमात्र भी समर्थन होता हो।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.11.09 को रात्रि 11 बजे के लगभग हरीराम की कुईया नोवा गोदाम के सामने लोकमार्ग पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी विशालसिंह शेखावत एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया तथा फरियादी से 200 रुपये उद्यापित करने के प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 294, 327 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

13. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

14. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहे हो, तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्त का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)